सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रीय निदेषक
राष्ट्रीय अध्यापक षिक्षा परिषद
उत्तर क्षेत्रीय समिति
ए–46 षान्ति पथ तिलक नगर
जयपुर (राजस्थान)

विषयः– आपके पत्रांक संख्या F.N.R.C./NCTE/UR-43/2010/24073 दिनांक 22 जून 2010 कारण बताओ सूचना सैक्शन 17, NCTE एक्ट के अन्तर्गत।

महोदय,

निवेदन है कि आपको उपरोक्त विषय के संन्दर्भ में निम्नवत जानकारी प्रमाण सहित प्रेषित कि जा रही है।

1– महाविद्यालय को एन0 आर0 सी0 जयपुर के आदेश दिनांक 5/2/2007 से बी0 एड0 एक वर्षीय पाठ्यक्र हेतु 100 सीटों में प्रवेश हेतु आंवटन कि मान्यता दी गयी थी। महाविद्यालय ने तीन सत्रा 2006–07 से 2007–08 एवं 2008–09 में क्रमशः 99, 52 एवं 92 छात्राों को ही प्रवेश दिया है और इन सत्रों को सुचारू रूप से चलाया है। हमेशा महाविद्यालय का परिणाम 100 प्रतिशत रहा है।

2– सत्रा 2007–08 के विषय में बी0 एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए केवल तीन विज्ञप्तियॉ जारी की गयी थी जिसकी छायाप्रति स्पष्टीकरण के साथ संलिगत।

(क) पत्रांक बी0 एड0 प्र0 /2007–08/26 दिनॉक 20, 04/03/2008 में यह अंकित है कि यह विज्ञप्ति रूड़की डिग्री कालेज धनौरी को छोड़कर सभी स्ववित्तपोषित संस्थानो पर लागू होगी।

(ख) पत्रांक बी0 एड0 प्र0 /2007–08/30 दिनॉक 12/03/2008 में भी यह अंकित है कि यह विज्ञप्ति रूड़की डिग्री कालेज धनौरी को छोड़कर सभी स्ववित्तपोषित संस्थानो पर लागू होगी।

(ग) प्रैस विज्ञप्ति नं0 बी0 एड0 2008/77–ए दिनॉक 12/05/2008 यह विज्ञप्ति भी सिर्फ तीन महाविद्यालय के लिए ही थी।

इन सभी विज्ञप्तियों को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय ने 12/05/2008 की विज्ञप्ति को आधार मानते हुए प्रवेश दिये। क्योंकी केवल इसी विज्ञप्ति में (रूड़की डिग्री कालेज धनौरी को छोड़कर) वाक्य अंकित नही किया गया था। इन तीनो विज्ञप्तियों की छायाप्रतियां संल्गनक सं0 1 के रूप में संलिगत है। विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय (रूड़की डिग्री कॉलेज) के नाम से कोई भी विज्ञप्ति

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

जारी न करने की वजह से महाविद्यालय (रूड़की डिग्री कॉलेज) को भारी नुकसान हुआ है। इस सत्रा मे केवल 52 सीटों पर ही छात्रों ने ही महाविद्यालय में प्रवेश पाया था। जवकि महाविद्यालय के पास 100 सीटे आंवटित है जिसमें 50 सीटे राज्य कोटे एवं 50 सीटे प्रबन्धकीय कोटे की है। यदि महाविद्यालय विश्वविद्यालय के मानकों एवं कट ऑफ मेरिट को अनदेखा करते हुए प्रवेश करता तो वह सभी आंवटित 100 सीटों पर प्रवेश कर सकता था। जबकि इस सत्रा में महाविद्यालय द्वारा केवल 52 सीटो पर ही प्रवेश किये गये थे। सत्रा 2007–08 के प्रवेश में वाछिंत कई छात्रों ने अन्य महाविद्यालयों में जिनमें कि सत्रा 2008–09 के साथ ही सत्रा 2007–08 का सत्रा भी चला है उनमें प्रवेश लिये है।

जिन दो छात्रों को आधार मानते हुए स्वू डमतपज प्रवेश का आरोप महाविद्यालय पर लगाया गया उनकी बी0 एड0 प्रवेश परीक्षा की अंक तालिकाऐं संलग्न सं0 2 के रूप में संल्गित है।

3– एन0 आर0 सी0 द्वारा गठित समिति जो 22 जून 2009 को महाविद्यालय के स्थलीय निरिक्षण (Related to Infrastructure, Instructional and other facility) प्रपत्रों की जांच हेतु गठित की गयी थी लेकिन वी0टी0 टीम ने महाविद्यालय में आकर 25/03/2009 के पत्रा के विषय में कोई स्पष्टीकरण नही मांगा जिसमें हे0 न0 ब0 वि0 वि0 गढ़वाल के कुलसचिव ने यह आरोप लगाया था कि महाविद्यालय (रूड़की डिग्री कालेज) में कट ऑफ मेरिट से नीचे प्रवेश दिये है। यदि वह महाविद्यालय से उस समय इसका स्पष्टीकरण मांगते तब भी महाविद्यालय स्पष्टीकरण देने में सक्षम था। तथा उस जॉच समिति ने अपनी जो आख्या दिनांक 04जी श्रनसल 2009 के द्वारा दी गयी थी उसमें पहले हमारे महाविद्यालय में 8 खामियॉ दर्शायी गयी थी तथा 8 खामियों वाला पत्रा क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर से हमें निर्गत किया गया था। जिसके जवाब में हमने दर्शायी गयी खामियों के अनुसार एन0 आर0 सी0 को लिखित रूप में प्रमाणों सहित निराकरण करने के लिए प्रपत्र भेजे थे तो उनकी जॉच के उपरान्त हमारे महाविद्यालय पर 5 खामियॉ फिर भी दर्शायी गयी हमने पुनः 5 खामियो के निराकरण के लिए प्रपत्र भेजे जिस पर सुचारू रूप से निर्णय नहीं लिया गया तथा एन0 आर0 सी0 ने अपने आदेश दिनांक – 09/09/2009 के अन्तर्गत हमारे महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त कर दी गयी थी। आदेश की छाया प्रति संलग्न सं0 3 के रूप में संलग्न है।

4– उत्तर क्षेत्रीय समिति जयपुर ने महाविद्यालय से 22/06/2010 के पत्रा वार्ता से पहले कभी भी कोई स्पष्टीकरण जैसा की आपके पत्रांक सं0 F.N.R.C./NCTE/UR-43/2010/24073 दिनांक 22 जून

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2010 में पैरा नं0 4 की यह पक्तियां – The Committee further directed the institution to submit documents related to Govt. policy regarding the admission in B.Ed. under management quota, category wise list of admitted students & category wise cut of marks fix by the university द्वारा नही मांगा। यदि उत्तर क्षेत्रीय समिति महाविद्यालय से पहले इस विषय में स्पष्टीकरण मांगती तो महाविद्यालय उस वक्त भी स्पष्टीकरण देने में पूर्णत सक्षम था।

एन0 आर0 सी0 ने अपने कार्यालय से एक कारण बताओं नोटिस अन्तर्गत धारा 17 ऑफ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट 1993 जो दिनांक 22 जुलाई 2009 को दिया और कहा कि एन0 आर0 सी0 की 144 वी मिटिंग दिनांक 12–14 जुलाई 2009 को आयोजित की गई थी। तथा एन0 सी0 टी0 ई0 जयपुर ने अपने डपदनजे में महाविद्यालय पर 8 खामियॉ लगायी। (Infrastructure, Instructional and other facility) और उसी के तहत कारण बताओं नोटिस जारी किया जिसका जवाब महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में एन0 सी0 टी0 ई0 जयपुर को निर्गत करा दिया गया था।

5– महाविद्यालय द्वारा एन0 आर0 सी0 / एन0 सी0 टी0 ई0 की 144 वीं मिंटिग का जवाब एन0 आर0 सी0 ने 147 वीं मिंटिग में 16th & 17th Aug. 2009 के सामने रखा गया, उस मिंटिग में 8 में से तीन त्रुटियों को कम करते हुए 5 त्रुटियों को बरकरार रखते हुए आदेश 09/09/2009 को पारित किया जिसमें महाविद्यालय की सम्बध्ता समाप्त कर दी गयी।

एन0आर0सी0 के निर्देशनुसार महाविद्यालय द्वारा एन0सी0टी0ई0 देहली अन्डर सैक्शन 18 के तहत अपील की गयी। जिसकी सुनवायी 16/03/2010 को हुयी। उन्होने भी एन0सी0 टी0 ई0 जयपुर का निर्णय दिनांक 09/09/2009 को बरकरार रखते हुए अपने आदेश दिनांक 12/04/2010 को महाविद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी। जिसके बाद महाविद्यालय के पास न्यायालय में जाने के अलावा कोई विकल्प नही बचा। तब माननीय उच्च न्यायालय ने तीनो आदेश

(क) 144 वीं मिटिंग Held on 12th, 14th July. 2009

Order No. – FNRC/NCTE/F-3/UR-43/144 Meeting/2009/6524

Dated on 22 July 2009.

(ख) 147 वीं मिटिंग Held on 16th, 17th Aug. 2009

Order No. - FNRC/NCTE/F-3/UR-43/2009/13146

Dated on 09/09/2009.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(ग) अपील Held on 16-03-2010 Order dated on 12/4/2010.

को अपने आदेश दिनांक 14/06/2010 के द्वारा निरस्त कर दिया जिनकी छायाप्रति संलग्न सं0 4 के रूप में संल्गित है।

6– महोदय महाविद्यालय आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहता है कि कुलसचिव द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल बेबुनियाद एवं निराधार है। आरोप को साक्ष्य के साथ प्रमाण प्रस्तुत करें।

जब कुलसचिव महोदय जानते थे कि संस्थानों ने कट ऑफ मेरिट से नीचे के छात्रों को प्रवेश दिया है तो विश्वविद्यालय ने किस आधार पर छात्रों को प्रवेश पत्र दिये एवं परीक्षा करायी गयी।

महाविद्यालय ने इस आरोप के सन्दर्भ में स्पष्टिकरण दिनांक 08/07/2010 को विश्वविद्यालय को प्रेषित करा दिया है जिसकी छाया प्रति संल्गान सं0 5 के रूप मे संल्गित है

7– हमारे महाविद्यालय में कोई भी ऐसा प्रवेश किसी भी छात्र/छात्रा को नहीं दिया गया जो कि कट ऑफ मेरिट से नीचे हो तथा जिस प्रवेश से धारा 32 (2) ऑफ दी एन0 सी0 टी0 ई0 एक्ट 1993 का उल्लंघन होना साबित होता हो। जैसा कि धारा के अन्तर्गत यह भी दर्शाया गया है कि एन0 आर0 सी0 अपने में किसी भी संस्था की मान्यता जो कि बी0एड0 पाठ्यक्रम की है समाप्त करने में सक्षम है। तथा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड़ में एक याचिका ;च्स्द्ध न0 44 ऑफ 2009 के तहत जो दिनांक 08/06/2010 को आदेश पारित किया है तथा उसमें लगाये गये आरोप के निराकरण के लिए हम लिखित प्रमाण–पत्रा एवं साक्ष्यों की प्रमाणो की छाया प्रति संलग्न करके भेजी जा रही है।

8– विश्वविद्यालय द्वारा पत्रांक सं0 बी0एड0प्र0/2008/266 दिनांक–13/10/2008 के द्वारा हमारे महाविद्यालय से सम्बन्धित विज्ञप्ति का बिल भी भुगतान हेतु महाविद्यालय को प्रेषित किया है जो न्यायोचित नही है।

अतः महोदय से निवेदन है कि कारण बताओ नोटिस नं F.NRC/NCTE/UR-43/2010/24073 दिनांक 22 जून 2010 को निरस्त करने की कृपा करें ।

सधन्यवाद

भवदीय

सचिव

रूडकी डिग्री कॉलेज

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com